क्यों दुनिया डेटा प्रवाह पर बहस कर रही है

लेखक- करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा,साइबर सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

25 जून, 2019

"क्या डेटा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित किया जाना चाहिए या किसी एक स्थान पर स्थानीयकृत किया जाना चाहिए? जैसा कि आईटी मंत्रालय, संसद में डेटा संरक्षण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है और कई देशों द्वारा वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, इसलिए बहस के दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक बन गया है।"

डेटा संरक्षण पर आईटी मंत्रालय के विधेयक को वर्तमान सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना है। इसके अलावा, दुनिया भर में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) और G-20 में डेटा प्रवाह पर बहस चल रही है।

डेटा मूल्यवान क्यों है?

डेटा किसी भी तरह की जानकारी का संग्रह है, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है। इन दिनों, अधिकांश लोग अपने संदेशों, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन लेन-देन और ब्राउजर सर्च के बारे में जानकारी के लिए डेटा का संदर्भ लेते हैं। बिग डेटा, डेटा की विशाल मात्रा को संदर्भित करता है, जिसे अब पैटर्न को खोजने के लिए इकट्ठा, संग्रहीत और विश्लेषण किया जा सकता है।

हालांकि, लोगों की ऑनलाइन आदतों के बारे में जानकारी का यह बड़ा संग्रह मुनाफे का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कौन हैं इसकी जानकारी आपकी ऑनलाइन गतिविधि से पता लग जाती है और इसी के आधार पर कम्पनियां आपके लिए विज्ञापनों को लक्षित करती हैं। सरकार और राजनीतिक दलों ने भी चुनाव और नीति निर्माण के लिए इन डेटा सेटों में दिलचस्पी ली है।

डेटा कानूनों के बारे में विभिन्न देशों द्वारा वास्तव में क्या चर्चा हो रही है?

डेटा को एक भौतिक स्थान में संग्रहीत किया जाता है, जो ताजमहल के आकार का हो सकता है। डेटा को देश की सीमाओं के पार भी पहुँचाया जाता है, इसे पानी के नीचे माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई जितनी गहराई तक केबल के माध्यम से कहीं भी भेजा जा सकता है। जैसा कि तेल को परिष्कृत किया जाता है, डेटा को उपयोगी बनाने के लिए संसाधित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसका विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है।

डेटा फ्लो के ये पहलू, जहाँ यह संग्रहीत होता है, जहाँ इसे भेजा जाता है, जहाँ इसे कुछ उपयोगी रूप में बदल दिया जाता है, निर्धारित करते हैं कि डेटा की पहुँच किसके पास है, डेटा से मुनाफा किसे होगा और डेटा का मालिक कौन है?

इन सवालों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत सरकारें अपने घरेलू नियमों को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं और एक वैश्विक मंच पर एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और गोपनीयता के मूल्यों को और अधिक बढ़ाया जा सके।

डेटा स्टैंड पर भारत की घरेलू नीति कहाँ है?

भारत के हालिया ड्राफ्ट और बयानों में डेटा स्थानीयकरण के लिए मजबूत संकेत मिले हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीयों के डेटा (भले ही एक अमेरिकी कंपनी द्वारा एकत्र किए गए हों) को भारत में संग्रहीत और संसाधित किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ वित्तीय कंपनियों को वित्तीय डेटा का स्थानीयकरण करने का निर्देश देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की मसौदा ई-कॉमर्स नीति फरवरी से सार्वजनिक परामर्श में है। आईटी मंत्रालय ने एक डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।

मोटे तौर पर इन कानूनों को भारतीय सूचनाओं, जैसे-भारतीय संदेश, सर्च और खरीददारी को संग्रहीत करने और संसाधित करने के लिए फेसबुक, गूगल और अमेजन की आवश्यकता होती है। हालांकि, सरकार कुछ मामलों में इन्हें इस आधार पर प्रतिबंधित कर सकती हैं कि ये कंपनियाँ किस प्रकार के डेटा को एकत्र करेंगी। अन्य देशों में, इसे केवल देश में होने वाले डेटा की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है। चीन ने इसी तरह के कानून विकसित किए हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावक विदेशी खिलाड़ियों को रोककर डेटा सेंटरों और डेटा प्रोसेसिंग की एक समृद्ध घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अनुमति देते हैं। यही कारण है कि रिलायंस और पेटीएम जैसी भारतीय कंपनियाँ आमतौर पर डेटा स्थानीयकरण का समर्थन करती हैं।

भारत सरकार का दूसरा तर्क यह है कि स्थानीयकरण कानून प्रवर्तन को डेटा तक पहुँचने में मदद् करेगा। वर्तमान में, भारत को अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित भारतीयों का डेटा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों' (एमएलएटी) का उपयोग करना है। भारत में संग्रहीत डेटा (डेटा मिररिंग) की एक प्रति की आवश्यकता के द्वारा, सरकार को इन कंपनियों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण की उम्मीद है, जिसमें उन पर अधिक कर लगाने का विकल्प भी शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा स्थानीयकरण के लिए विदेशी निगरानी और हमलों को रोकने के लिए भी तर्क देती है। डेटा स्थानीयकरण के खिलाफ प्रतिवाद क्या हैं?

अमेरिकी सरकार और कंपनियाँ सीमा पार से डेटा का प्रवाह चाहती हैं। यह कंपनियों को दुनिया के सबसे कुशल स्थान पर भारतीयों के डेटा को स्टोर करने की अनुमति देगा। भले ही भारत की डेटा अर्थव्यवस्था दूसरों की तुलना में बड़ी नहीं है, लेकिन यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई है, जिससे यह एक ऐसा बाजार बन गया है जिसे वैश्विक कंपनियाँ नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं।

डेटा के मुक्त प्रवाह के समर्थकों को चिंता है कि यदि सभी देश अपने डेटा की सुरक्षा करना शुरू करते हैं, तो यह भारत की अपनी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो वैश्विक विकास की तलाश में है।

वैश्विक मंचों पर क्या हो रहा है?

दुनिया भर में व्यापार तनाव बढ़ रहे हैं, जिससे विश्व व्यापार संगठन और जी-20 में डेटा प्रवाह बहस को नई प्रासंगिकता मिल रही है।

डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश ई-कॉमर्स के बारे में नियमों पर बातचीत कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं। डिजिटल व्यापार भौतिक व्यापार की तुलना में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है। भारत 2021 तक ई-कॉमर्स के 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद के साथ सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।

ये कानून उन सवालों को उठाते हैं जहाँ कंपनियाँ लेन-देन के बारे में डेटा को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। दिसंबर, 2017 में, अमेरिका सहित 71 डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के एक समूह ने एक संयुक्त बयान प्रकाशित किया, जिसमें डेटा प्रवाह बहस के लिए ई-कॉमर्स वार्ता को व्यापक बनाने के लिए पहले बड़े प्रोत्साहन को चिह्नित किया गया था। जब से यूरोपीय संघ जैसे अन्य सदस्य शामिल हुए हैं, तब से भारत इस समूह में शामिल नहीं हुआ है।

अपने प्रस्तावों में, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ऑनलाइन लेन-देन पर सीमा शुल्क को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया है लेकिन चीन और पाकिस्तान ने उन्हें अनुमति देने के लिए कहा है। अमेरिका ने न तो अत्यधिक डेटा मानकों और न ही स्थानीयकरण आवश्यकताओं को पूरा करने की सिफारिश की है, जबकि यूरोपीय संघ डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को चाहता है।

8 और 9 जून को त्सुकुबा में जी-20 की बैठक से, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रिस्तरीय वक्तव्य ने डेटा के सीमा पार प्रवाह को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित 'ट्रस्ट के साथ डेटा फ्री फ्लो' (DFFT) नामक एक सिद्धांत का आगामी G-20 शिखर सम्मेलन में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनने की उम्मीद है।

भारत ने इन पहलों का जवाब कैसे दिया है?

भारत ने डब्ल्यूटीओ की सभी ई-कॉमर्स वार्ताओं का विरोध करते हुए नवंबर, 2017 का दस्तावेज प्रस्तुत किया। हाल ही में G-20 की बैठक में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तकनीकी सीमा में भारत की चिंता को समझाया। गोयल ने कहा कि इस कारण से ही भारत

इस स्तर पर, (डब्ल्यूटीओ) ई-कॉमर्स पर संयुक्त पहल का समर्थन नहीं करता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में, सभी देशों के लिए डेटा मुक्त प्रवाह का समान लाभ उठाने के लिए, एक स्तर के खेल मैदान की सुविधा हो। विकासशील देशों को विषय की गहन समझ बनाने और ई-कॉमर्स वार्ताओं में सार्थक रूप से संलग्न होने से पहले अपने स्वयं के कानूनी और नियामक ढांचे को तैयार करने के लिए समय और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।

17 जून को गोयल ने ई-कॉमर्स मसौदा नीति पर चर्चा करने के लिए उद्योग की बैठक का आयोजन किया 28 और 29 जून को G-20 शिखर सम्मेलन के साथ, क्षितिज पर अगले नवंबर में 14वां यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम और मार्च, 2020 में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम भी है।

GS World टीम...

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (ड्राफ्ट) बिल, 2018

बिल की मुख्य विशेषताएँ

- बिल, सरकार तथा भारत और विदेश में निगमित निजी एंटिटीज (डेटा फिड्यूशरीज) द्वारा लोगों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है। व्यक्ति (डेटा प्रिंसिपल) की सहमति या आपात स्थिति में, या सरकार द्वारा लाभ वितरण हेतु प्रोसेसिंग की अनुमति है।
- अपने डेटा के संबंध में डेटा प्रिंसिपल के अनेक अधिकार हैं। जैसे-डेटा में संशोधन करना या फिड्यूशरी के पास स्टोर किए गए डेटा को हासिल करना।
- किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करने के दौरान फिड्यूशरी की कुछ बाध्यताएँ हैं। जैसे-उस व्यक्ति को डेटा प्रोसेसिंग की प्रकृति और उसके उद्देश्यों की सूचना देना।
- बिल में डेटा प्रोसेसिंग के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है। जैसे-राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, कानूनी बाध्यताओं के लिए या पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए डेटा प्रोसेस करना।
- बिल में अपेक्षा की गई है कि पर्सनल डेटा की एक सर्विंग कॉपी भारत के राज्य क्षेत्र में स्टोर की जाएगी। कुछ महत्त्वपूर्ण पर्सनल डेटा को सिर्फ देश में स्टोर किया जाएगा।
- डेटा फिड्यूशरीज को सुपरवाइज और रेगुलेट करने के लिए बिल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) का गठन किया गया है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- डेटा फिड्यूशरी से यह अपेक्षा की गई है कि अगर डेटा के अतिक्रमण से किसी को नुकसान होने की आशंका है, तो वह डीपीए को इस अतिक्रमण की सूचना देगा। संभव है कि किसी अतिक्रमण की सूचना देना है अथवा नहीं, इस संबंध में हितों का टकराव हो। चूंकि डीपीए अनेक मानदंडों के आधार पर फिड्यूशरी का रेगुलेशन और मूल्यांकन करती है। इसमें डेटा अतिक्रमण के मामले भी शामिल हैं।
- बिल, पत्रकारिता, शोध या कानूनी प्रक्रिया जैसे उद्देश्यों के लिए छूट की अनुमति देता है। यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या इन कारणों से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। क्या ये उद्देश्य इतने आवश्यक हैं और निजता के अधिकार के उल्लंघन के अनुपात में हैं।
- सरकार से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि लाभ या सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति हासिल करे। यह अस्पष्ट है कि यह छूट केवल सरकार की कल्याणकारी सेवाओं तक सीमित क्यों नहीं है, जैसा कि जस्टिस श्रीकृष्ण कमिटी की रिपोर्ट में प्रस्तावित है।
- कानून प्रवर्तन करने वाली संस्थाओं को डेटा आसानी से हासिल हो जाए, इसके लिए बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में पर्सनल डेटा की एक कॉपी को स्टोर किया जाए। कुछ मामलों में यह उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे अगर फिड्यूशरी किसी दूसरे देश में पंजीकृत हो।
- यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या डीपीए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय की मंजूरी या आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है या उन्हें हिरासत में ले सकती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (ड्राफ्ट) बिल, 2018 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. यह बिल पत्रकारिता, शोध या कानूनी प्रक्रिया जैसे उद्देश्यों के लिए छूट की अनुमति देता है।
   2. यह बिल अनिवार्य करता है कि भारत में पर्सनल डेटा की एक कॉपी को स्टोर किया जाए।
   3. डेटा संरक्षण पर जस्टिर श्रीकृष्णा कमिटी गठित की गई थी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) 1 और 3 (d) केवल 1

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding Personal Data Protection (Draft) Bill, 2018.**

   1. This bill allows exemption for purposes such as journalism, research or legal process.
   2. This bill mandates that a copy of personal data in India be stored.
   3. Justice Shri Krishna Committee was formed on data protection.

   Which of the above/statements is/are incorrect?

   (a) 1, 2 and 3 (b) 1 and 2
   (c) 1 and 3 (d) Only 1

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः डेटा संरक्षण क्या है? वैश्विक स्तर पर इसके पक्ष व विपक्ष की चर्चा करते हुए इस सन्दर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Q. What is data protection? Explain India's position in this context while discussing its pros and cons at the global level.

(250Words)

नोट : 24 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

Committed to